

निदेशालय, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड,

23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

पत्रांक: 166024/नि0वि0ले0/ए0ए0ओ0स्था0-2025/2025-2026 दिनांक: 15 अप्रैल, 2025।

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना सं0- 12/xxxvi(3)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 फरवरी 2018 के द्वारा पत्र के साथ संलग्न राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु शासन द्वारा "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-1वर्ष 2018)" में दिये गये उपबन्धों के आधार पर वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही गतिमान है। उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-102/XXX(2)/ 16/30(13)/2017 दिनांक 14 अप्रैल 2018 के क्रम में निदेशालय के पत्रांक: 187/नि0वि0ले0/ए0ए0ओ0स्था0-2018/2018-19 दिनांक 16 अप्रैल 2018 द्वारा निदेशालय, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड के नियंत्रणाधीन विभिन्न विभागों में तैनात सहायक लेखाधिकारी के स्वीकृत पद जिन स्थानों में स्वीकृत हैं को सुगम व दुर्गम में चिन्हीकरण किया गया है। तत्क्रम में सहायक लेखाधिकारी के पदों पर तैनात अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण के प्रयोजनार्थ उपलब्ध रिक्तियों एवं सम्भावित रिक्तियों तथा अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची निदेशालय द्वारा जारी की गयी है।

अधिनियम की धारा-9 व 12 के अनुसार सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सीमा में पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 दुर्गम (सुगम से दुर्गम स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को) एवं सुगम (दुर्गम से सुगम स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को) स्थानों, जहां वे तैनाती के इच्छुक हों, के लिए विकल्प मांगे जाने की व्यवस्था है।

अतः निदेशालय द्वारा जारी पात्रता सूची के अनुसार सुगम क्षेत्र में तैनात कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में रिक्तियों/सम्भावित रिक्त पदों पर तथा दुर्गम क्षेत्र में तैनात कार्मिक सुगम क्षेत्र में रिक्तियों/सम्भावित रिक्त पदों पर स्थानान्तरण हेतु अपना विकल्प अधिकतम 10 स्थान, जहां तैनाती के इच्छुक हों प्राथमिकता क्रम में दिनांक 15 मई 2025 से पूर्व अनिवार्य रूप से इस निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(गंगा प्रसाद)

निदेशक

पत्रांक व दिनांक:—उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. समस्त सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. स्थानान्तरण हेतु पात्र सहायक लेखाधिकारीगणों को प्रसारित।
4. प्रचार-प्रसार के प्रयोजनार्थ विभागीय वेब साईट में अपलोड किये जाने हेतु।

ह0/—
(गंगा प्रसाद)
निदेशक